मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 1995 (फाल्गुन 3, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री जवाहर सिंह रावत, सदस्य, डबरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कंकर मुंजारे, बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले की डिस्टिलरी से फर्जी परमिटों पर शराब की हो रही बिक्री की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88–बैकुन्ठपुर के सदस्य, डॉ. रामचन्द्र सिंह देव को फरवरी–अप्रैल, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मि. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रवीन्द्र चौबे, सदस्य, द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः) :–

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

भोपाल :
दिनांक : 21 फरवरी, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा